**भारत सरकार**

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3157**

**(दिनांक 11.03.2026 को उत्तर देने के लिए)**

**भ्रामक विज्ञापनों का प्रभाव**

**3157. श्री जिया उर रहमान:**

**क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से प्रसारित भ्रामक विज्ञापनों और फर्जी समाचार के प्रभाव की जांच की है;

(ख) इस संबंध में निगरानी और नियामक तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का दर्शकों, विशेषकर बच्चों को हानिकारक प्रसारण सामग्री से बचाने के लिए कोई नए दिशानिर्देश जारी करने का विचार है?

**उत्तर**

**सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री**

**(डॉ. एल. मुरूगन)**

**(क) से (ग):** सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 दिनांक 25 फरवरी, 2021 को अधिसूचित किए है। इन नियमों के भाग-III में अन्य बातों के साथ-साथ समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों के लिए आचार संहिता का प्रावधान है। इसमें केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम संहिता तथा प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के अंतर्गत निर्धारित पत्रकारिता के आचरण के मानकों का पालन करना शामिल है। सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अंतर्गत एक तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, इन नियमों का भाग-II**,** अन्य बातों के साथ-साथ, मध्यस्थों पर ऐसी जानकारी के प्रसार को रोकने की जिम्मेदारी निर्धारित करता है, जो स्पष्ट रूप से झूठी, असत्य या भ्रामक प्रकृति की हो।

केंद्र सरकार से संबंधित फर्जी समाचारों पर रोक लगाने के लिए पत्र सूचना कार्यालय**,** सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक फ़ैक्ट चेक यूनिट (एफसीयू) स्थापित की गई है। भारत

सरकार के मंत्रालयों/विभागों में अधिकृत स्रोतों से समाचारों की प्रामाणिकता का सत्यापन करने के बाद, एफसीयू अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सही जानकारी प्रकाशित करती है।

उपभोक्ता मामलें विभाग के अंतर्गत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने दिनांक 9 जून, 2022 को "भ्रामक विज्ञापनों का निवारण और भ्रामक विज्ञापनों के पृष्ठांकन मार्गदर्शक सिद्धांत, 2022" अधिसूचित किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना तथा उन उपभोक्ताओं की सुरक्षा करना है, जो ऐसे विज्ञापनों से शोषित या प्रभावित हो सकते हैं। झूठे और भ्रामक विज्ञापनों सहित इन दिशा-निर्देशों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत विचार किया जाता है।

****